न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ.

नियमित जमानत आवेदन सं0 141 / 2026

बाढ़ थाना कांड सं0 350 / 2025

अंतर्गत धारा 329(3)(4), 332, 126(2), 115(2), 303(2), 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम

शिवम कुमार, उम्र– 19 वर्ष, पिता– पवन पासवान, ग्राम– कोंदी, थाना– पंडारक, जिला– पटना।

.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार

..... अभियोजन

उपस्थिति

आवेदक की ओर से : विद्वान अधिवक्ता श्री रविकांत कुमार,

अभियोजन की ओर से : विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अर्जुन शर्मा,

16.05.2026

1. इस कांड में दिनांक **03.09.2025** से काराधीन आवेदक / अभियुक्त की ओर से दिनांक 09.03.2026 को नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया है। आवेदक निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन के द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा है। प्राथमिकी में जिस प्रकार बताया गया है उस प्रकार की घटना नहीं हुई है। आवेदक पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। कोई मारपीट नहीं किया गया है तथा गोली चलाने की बात गलत है। आवेदक के विरूद्ध धारा 109 एवं 303(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला नहीं बनता है, अन्य सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति के है। प्राथमिकी में यह स्पष्ट नहीं है कि चेन और मंगलसूत्र किसके द्वारा छीना गया। आवेदक पक्ष के द्वारा अभियोजन पक्ष के विरूद्ध बाढ़ थाना कांड सं0 352 / 2025 के तहत पलटा मुकदमा दायर किया गया है। अतः यह वाद–प्रतिवाद का मामला है। इस कांड सह अभियुक्तगण विजय शंकर पांडेय एवं मनीष कुमार पांडेय को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जमानत दी जा चुकी है। आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक को ग्रामीण दुश्मनी के कारण झुठे केस में फंसा दिया गया है। आवेदकगण दिनांक 03.09.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक न्यायालय की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है, इसलिए इन्हें किसी भी शर्त का जमानत दिया जाय, जमानतदार देने को तैयार हैं।

3. अभियोजन ने नियमित जमानत आवेदन का विरोध किया है।

4. उपर्युक्त नियमित जमानत पर उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे पता चलता है कि प्रस्तुत मामला में सूचक के द्वारा यह अभियोग लगया गया है कि दिनांक 15.06.2025 को 15:30 बजे सूचिका अपने घर पर बैठे थे उसी समय पूर्व के विवाद को लेकर इनके ही ग्रामीण विजय शंकर पांडेय, मनीष कुमार पांडेय, सोनू कुमार, राजा पांडेय एवं शिवम कुमार जो विजय शंकर पांडेय का नौकर है एवं तीन–चार अज्ञात व्यक्ति उक्त सभी लोग हरवे हथियार से लैस होकर इनके घर में घुस गए तथा इनके रखे सामान को छिट दिए। जब सूचिका हल्ला की तो हल्ला की आवाज सुनकर इनके देवर संतोष पांडेय एवं बगल के वीरू पांडेय जैसे ही घर के पास पहुंचे, ठीक उसी समय सोनू कुमार ने अपने हाथ में लिए हथियार से फायर कर दिया, जो संतोष पांडेय के पैर में एवं वीरू पांडेय के पेट में गोली लगा गया। इसी बीच गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठा होने लगे तो वे लोग इनके गले से चेन एवं गोतनी के गले से मंगलसूत्र छीनकर भाग गए और जाते–जाते धमकी दिए कि केस मुकदमा करोगे तो फिर मारेंगे। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से जख्मी संतोष पांडेय एवं वीरू पांडेय को ईलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़ ले जाया गया जहां से बेहतर ईलाज हेतु पी.एम.सी.एच., पटना के लिए रेफर किया गया।

5. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एवं अभिलेख का अवलोकन किया। कांड दैनिकी अभिलेख के साथ संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि कांड दैनिकी के कंडिका 15 में घटनास्थल के बारे में बताया गया है जिसमें यह भी उल्लेख है कि घटनास्थल का निरीक्षण के क्रम में पाया कि वहां पर कुछ खून के धब्बे गिरे हुए हैं, कंडिका 17 एवं

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ.

नियमित जमानत आवेदन सं0 141 / 2026

बाढ़ थाना कांड सं0 350 / 2025

लगातार

16.05.2026 18 के साक्षियों के द्वारा घटना का पूर्ण समर्थन किया गया है, कंडिका 9 में FSL, Patna द्वारा कांड में घटनास्थल से जो प्रदर्श जप्त किया उसकी जप्ती सूची में उल्लेख है जोकि इस प्रकारः–

(i) Cartridge case (7.65) marked 'A' collected from P.O.
(ii) Cartridge case (7.65) marked 'B' collected from P.O.
(iii) Cartridge case (8mm) marked 'C' collected from P.O.
(iv) Cartridge case (8mm) marked 'D' collected from P.O.
(v) Cartridge case (7.65) marked 'E' collected from P.O.
(vi) Suspected blood stair on cotton gave marked 'F' from spot 1 at P.O.
(vii) Suspected blood stair on cotton gave marked 'G' from spot 2 at P.O. पाया गया है। इसके अतिरिक्त कांड दैनिकी के साथ जख्मी वीरू पांडेय का जख्म प्रतिवेदन भी संलग्न है जिसके अवलोकन से विदित होता है कि "A lacerated wound of size about 2cmX1cm depth connot be assessed over left lower abdomen" तथा Finding में "**A metallic foreign body seen- overlapping right iliac bone**" पाया गया है। यद्यपि कि आवेदक दिनांक 03.09.2025 से काराधीन है, परंतु अभियोजन की ओर से दाखिल P.M.C.H., Patna में जख्मी संतोष पांडेय का Discharge Ticket है जिसके Brief clinical history में "Trauma due to firearm injury पाया गया हैः– Tenderness left foot. Entry wound- Lacerated wound size 2cmX1cm on left lateral side of left foot पाया गया है तथा सह अभियुक्तगण विजय शंकर पांडेय एवं मनीष कुमार पांडेय का नियमित जमानत आवेदन सं0 428 / 2025 दिनांक 04.08.2025 के माध्यम से नियमित जमानत एवं राजा पांडेय का अग्रिम जमानत आवेदन सं0 483 / 2025 दिनांक 04.08.2025 के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जा चुका है।

6. इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितयों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सभी अभियुक्तगण सामान्य आशय बनाकर हरवे–हथियार से लैस होकर घटना कारित किए हैं तथा साक्षियों के बयानों का प्रथमदृष्टया संपोषण जख्म प्रतिवेदन से भी होता है और घटनास्थल से काफी अधिक संख्या में खोखा (Cartridge) बरामद किए गए हैं, परंतु कारित घटना अत्यंत गंभीर प्रकृति की है और कांड दैनिकी एवं प्राथमिकी के अनुसार आवेदक की भी प्रत्यक्ष संलिप्तता पाई गई है। ऐसी दशा में कारित घटना की गंभीरता, जख्म प्रतिवेदन, बरामद गोली के खोखे आदि सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को जमानत पर उपनिहित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक का जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धित
Sd/-
(अमित कुमार दीक्षित)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ़